

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

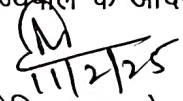
अ०सं०— वि० प्रा० (II) स्था०—05/2023/703

/पटना, दिनांक — 11.02.2025

श्री राजेश कुमार, व्याख्याता—सह—प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, बाँका द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं मादक पेयों और औषधों का उपयोग करने के कारण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 की कंडिका (3) एवं (4) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उक्त कृत्य के कारण श्री राजेश कुमार, व्याख्याता—सह—प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, बाँका को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) (क) के आलोक में आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

- ii. निलंबन अवधि में श्री राजेश कुमार का मुख्यालय राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी रहेगा।
- iii. निलंबन अवधि में श्री राजेश कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

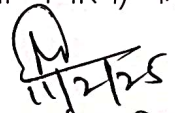

(मोनिका ठाकुर)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (II) स्था०—05/2023/703

/पटना, दिनांक — 11.02.2025

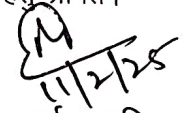
प्रतिलिपि — प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०), विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बाँका एवं मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (II) स्था०—05/2023/703

/पटना, दिनांक — 11.02.2025

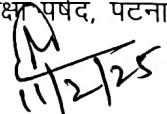
प्रतिलिपि — प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी/श्री राजेश कुमार, व्याख्याता—सह—प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (II) स्था०—05/2023/703

/पटना, दिनांक — 11.02.2025

प्रतिलिपि — माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/निदेशक कोषांग, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा समर्पद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।